निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 147/2024(रे0वाद)
दायर दिनांक – 21/11/2024
निर्णय दिनांक – 11/11/2025

अनवान

1. विमल कुंवर राठौड पुत्री अर्जुनसिंह पत्नी पुरणसिंह राठौड जाति राजपुत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ हाल निवासी जनकपुरी केलवा जिला राजसमन्द, राजस्थान।

वादिया

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

वादिया ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी, भू.अभि.नि. लसानी तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद में प्रार्थीयाया की स्वामित्व एंव आधिपत्य की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. 361 खसरा नम्बर 591, 592, 593, 598, 600, 601 कुल किता 06 कुल क्षैत्रफल 1.7300 हैक्टेयर भूमि होकर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा स्थित है। उक्त भूमि की वादिया मालिक हैं एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीया काबिज कास्त हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया की उक्त भूमि प्रार्थीया का नाम मुनी पुत्री अर्जूनसिंह दर्ज हैं वह गलत दर्ज है। जबकी वादिया का वास्तविक सही नाम विमल कुंवर राठौड़ पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी पूरणसिंह राठौड है। उक्त राजस्व जमाबन्दी में दर्ज नाम मुनी पुत्री अर्जूनसिंह की जानकारी वादिया को आज दिन पहले नहीं थी। राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम जो गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी वादिया को नही थी परन्तु अभी भूमि की वर्तमान राजस्व संबधी कार्यो के लिये जमाबन्दी निकलवाकर जमाबंदी राजस्व रेकार्ड देखने पर प्रार्थीया को जमाबन्दी में नाम में त्रुटी की जानकारी हुई। जिस पर वादिया ने कम्प्युटर से ऑनलाईन नकल प्राप्त की तो पता चला कि वादिया के नाम में त्रुटी हैं और प्रार्थीया का नाम विमल कुंवर राठौड़ पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी पूरणसिंह राठौड के स्थान पर मुनी पुत्री अर्जूनसिंह दर्ज हैं जो त्रुटी वश गलत दर्ज है। उक्त नाम मुनी जो कि प्रार्थीया का बोलता नाम होने से नामान्तरण खुलवाते समय भूलवश दर्ज करवा

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

दिया गया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम विमल कुंवर राठौड़ पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी पूरणसिंह राठौड है। प्रार्थीया का सभी दस्तावेजो में वास्तविक एंव सही नाम विमल कुंवर राठौड़ पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी पूरणसिंह राठौड दर्ज हैं एंव सभी राजकीय एंव अराजकीय कार्य भी इसी नाम से सम्पादित किये जाते है। राजस्व रिकार्ड में नाम की त्रुटी की वजह से प्रार्थीया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा कोई भी राजस्व कार्य सम्पादित नहीं कर पा रहा है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचानपत्र, पेनकार्ड एंव अन्य दस्तावेजो में भी प्रार्थीया का नाम विमल कुंवर राठौड़ पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी पूरणसिंह राठौड नाम अंकित हैं सिर्फ त्रुटीवश राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम मुनी पुत्री अर्जूनसिंह दर्ज हो गया है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम में त्रुटी होने से प्रार्थीया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीया को इस त्रुटी की पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु प्रार्थीया को राजस्व संबधी कार्य सम्पादन के लिये अपनी भूमि के दस्तावेजो की जरूरत पडी तो जमाबन्दी संवत् 2076 की ऑनलाईन नकल प्राप्त की तो पता चला कि उक्त जमाबंदी में जो नाम मुनी पुत्री अर्जूनसिंह दर्ज है वह गलत हैं जिसको राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मुनी पुत्री अर्जूनसिंह के स्थान पर विमल कुंवर राठौड़ पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी पूरणसिंह राठौड दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि वादिया का वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड को शुद्ध करते हुए वादिया का नाम मुनी पुत्री अर्जूनसिंह के स्थान पर विमल कुंवर राठौड़ पुत्री अर्जूनसिंह पत्नी पूरणसिंह राठौड दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का लसानी की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि ग्राम लसानी के जमाबन्दी खाता संख्या 361 संवत् 2076 में वादिया का नाम मुनी पुत्री अर्जुनसिंह राजपूत सा देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। संलग्न मौका पर्चा एवं वादिया के अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, पैनकार्ड, सहमती पत्र, सरपंच का प्रमाणपत्र के अनुसार वादिया का नाम विमलकुवंर राठौड पुत्री अर्जुनसिंह हैं। वादिया अधिवक्ता द्वारा सहखातेदारों की सहमति पत्र प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवधारणीय बिन्दु निर्धारण किया गयाः—

1. आया वादिया राजस्व ग्राम लसानी के खाता संख्या 361 खसरा संख्या 591, 592, 593, 598, 600, 601 कुल किता 06 कुल रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि में दर्ज मुनी पुत्री अर्जुनसिंह के स्थान पर सही नाम विमलकुंवर पुत्री अर्जुनसिंह दर्ज कराने की घोषणा कराने एवं रिकॉर्ड में दुरस्ती कराने की अधिकारी है।

उक्त बिन्दु को तय करने के लिए उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादिया अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय हित में

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

आवश्यक है वादिया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, सहमति पत्र, प्रमाणपत्र में भी विमलकुवंर राठौड पुत्री अर्जुनसिंह दर्ज है जो कि सही है। भूमि पर वादिया काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

हमने योग्य अधिवक्ता वादिया की बहस सुनी। अधिवक्ता वादिया ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादिया डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादिया क मुख्य कथन है कि वादिया का नाम विमल कुवंर राठौड़ के स्थान पर मुनी पुत्री अर्जूनसिंह दर्ज हो गया है जो गलत है। इसके संबंध में आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, सहमति पत्र, प्रमाणपत्र, पेनकार्ड पेश किये जिनके अनुसार वादिया का नाम विमल कुवंर राठौड पुत्री अर्जुनसिंह है। तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा भी अपने जवाब व पटवारी हल्का लसानी की रिपोर्ट में वादिया का विमलकुंवर राठौड़ पुत्री अर्जुनसिंह शुद्ध किया जाना उचित बताया है। वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों(आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, सहमति पत्र, प्रमाणपत्र, पेनकार्ड) पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर यह स्पष्ट होता हे कि मुनी पुत्री अर्जुनसिंह राजपूत का वास्तविक नाम विमलकुंवर पुत्री अर्जुनसिंह है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप में यह पाता हूँ कि वादिया अपने वादपत्र को साबित करने में सफल रही है। इसलिए दावा वादिया डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थिया की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 361 आराजी संख्या 591, 592, 593, 598, 600, 601 कुल किता 06 कुल क्षैत्रफल 1.7300 हैक्टेयर भूमि में वादिया का नाम मुनी पुत्री अर्जुनसिंह के स्थान पर मुनी उर्फ विमल कुंवर राठौड पुत्री अर्जुनसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देवगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 11 / 11 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार **R.A.S.**)
सहायक [illegible]कारी)
दे[illegible]न्द

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :— मोहकम सिंह सिनसिनवार आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :—147/2024

अनवान

1. विमल कुंवर राठौड पुत्री अर्जुनसिंह पत्नी पुरणसिंह राठौड जाति राजपुत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ हाल निवासी जनकपुरी केलवा जिला राजसमन्द, राजस्थान।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

—प्रतिवादी

उपस्थित :—
वादी की ओर से — श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से— पैरोकार सरकार

दावा वादिया डिक्री किया जाता है तथा ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थिया की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 361 आराजी संख्या 591, 592, 593, 598, 600, 601 कुल किता 06 कुल क्षैत्रफल 1.7300 हैक्टेयर भूमि वादिया का नाम मुनी पुत्री अर्जुनसिंह के स्थान पर मुनी उर्फ विमल कुंवर राठौड पुत्री अर्जुनसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देवगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करें।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़, राजसमन्द (राज.)